

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती पुष्पा कर्वे बनाम किशनसिंह (कैश)

किरम मुकदमा शा-पत्र 111-128 न० 94 तम 2021


दिनांक

हुकम या कार्यवाही मग इनिशयल्स जज


नम्बर व तारीख अहकाम जो इन हुकम की तारीख में जारी हुए

-7-21


वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 27-8-21 को पेश हो ।


उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

^{4/21} उभय पक्ष उपखण्ड पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28-9-21 को पेश हो।


रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

^{13/12/21} पत्रावली प्रशासन गाँवों के लेग अफियान 2021 केम्प ग्रुप पंचायत जिन्नास में पेश हुई, अप्राधीगण के सम्मन वाद वगैरह होकर जाल हुए एक्टवहसीकर माण्डल से रिफिट प्राप्त हुई जिसे आ-पठ किया गया। प्राधिया का जायजा पत्र स्वीकार किया जाकर विरुध्द दृषक से लिखा जाकर आ-पठ किया गया। पत्रावली फँसल सुमर होकर नम्बर से कम हो।


डॉ. पूजा समसेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के सन अफियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 94/21 प्रा. पत्र

1- श्रीमती पुष्पा कवर D/O श्री वामदेव सिंह राजपूत निवासी - कैरिया तहसील मांडल
--प्राथी (तर्ज)

बनाम

1- श्री विश्व सिंह D/O श्री मन्वेर सिंह राजपूत निवासी - कैरिया तहसील मांडल
--विपक्षीगण (तर्ज)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 13-10-21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... कैरिया..... पटवार हल्का..... कैरिया..... तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 2041, 2039, 2054..... कुल किता 03..... रकबा 0-5691..... हेक्टेयर..... स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्राथी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23-7-21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... कैरिया..... पटवार हल्का..... कैरिया..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 2039, 2041, 2054..... कुल किता 03..... रकबा 0-5691..... हेक्टेयर..... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... आलगास..... को 500/-..... रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी

उपांडल अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराये जाने से राशि जमा की 2021

जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग 2021